



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1590]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 17, 2011/श्रावण 26, 1933

No. 1590]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 17, 2011/SRAVANA 26, 1933

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अगस्त, 2011

का.आ. 1908(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 (2010 का 19) की धारा 4 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय हरित अधिकरण की बैठक के निम्नलिखित सामान्य स्थानों को विनिर्दिष्ट करती है जो प्रत्येक स्थान के सामने उपदर्शित क्षेत्र में अधिकारिता का प्रयोग करेंगे :—

क्रम संख्यांक	जोन	बैठक का स्थान	क्षेत्रीय अधिकारिता
1.	उत्तरी	दिल्ली (मुख्य स्थान)	उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र ।
2.	पश्चिमी	पुणे	महाराष्ट्र, गुजरात, दमण और दीव तथा दादरा और नागर हवेली संघ राज्यक्षेत्रों के साथ गोवा ।
3.	मध्य	भोपाल	मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ ।
4.	दक्षिणी	चेन्नई	केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पुडुचेरी और लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र ।
5.	पूर्वी	कोलकाता	पश्चिमी बंगाल, ओडिशा, बिहार, झारखंड, पूर्वोत्तर क्षेत्र के सात राज्य, सिक्किम, अंदमान और निकोबार द्वीप समूह :

परंतु राष्ट्रीय हरित अधिकरण की खंडपीठों के भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में कार्य प्रारंभ करने तक व्यथित व्यक्ति दिल्ली में राष्ट्रीय हरित अधिकरण के समक्ष याचिका फाइल कर सकेंगे और उस समय तक पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1003(अ), तारीख 5 मई, 2011 प्रवृत्त बनी रहेगी ।

[फा. सं. 17(4)/2010-पीएल]

रजनीश दुबे, संयुक्त सचिव,

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS
NOTIFICATION

New Delhi, the 17th August, 2011

S.O. 1908(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (3) of Section 4 of the National Green Tribunal Act, 2010 (19th of 2010), the Central Government hereby specifies the following ordinary places of sitting of the National Green Tribunal which shall exercise jurisdiction in the area indicated against each :—

Serial number	Zone	Place of Sitting	Territorial Jurisdiction
1.	Northern	Delhi (Principal place)	Uttar Pradesh, Uttarakhand, Punjab, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, National Capital Territory of Delhi and Union Territory of Chandigarh.
2.	Western	Pune	Maharashtra, Gujarat, Goa with Union Territories of Daman and Diu and Dadra and Nagar Haveli.
3.	Central	Bhopal	Madhya Pradesh, Rajasthan and Chhattisgarh.
4.	Southern	Chennai	Kerala, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Karnataka, Union Territories of Pondicherry and Lakshadweep.
5.	Eastern	Kolkata	West Bengal, Orissa, Bihar, Jharkhand, seven sister States of North-Eastern region, Sikkim, Andaman and Nicobar Islands :

Provided that till the Benches of the National Green Tribunal become functional at Bhopal, Pune, Kolkata and Chennai, the aggrieved persons may file petitions before the National Green Tribunal at Delhi and till such time the notification No. S.O.1003(E), dated the 5th May, 2011 in the Ministry of Environment and Forests, shall continue to be operative.

[F. No. 17(4)/2010-PL]
RAJNEESH DUBE, Jt. Secy.